

की राय विज्ञापन पासवान हाजीपुर) : मेरा काल घंटेशन पर प्वाएंट फाक बाइंडर है। मैं ने बांद्र प्रदेश के हरिजन एम एल.ए. के सम्बन्ध में काल घंटेशन नोटिस दिया है जिसको आपने स्वीकृत किया है। उसके बारे में सरकार क्या कर रही है ?

MR. SPEAKER: It is admitted for tomorrow.

12.14 hrs.

CALLING ATTENTION TO A
MATTER OF URGENT PUBLIC
IMPORTANCE

REPORTED DECISION OF THE ADDITIONAL
SESSION JUDGES AND MAGISTRATE IN
DELHI 10 MARCH TO PARLIAMENT
HOUSE ON THE 16TH MARCH, 1979.

श्री विजय कुमार महाहोत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं अधिलक्षणीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर विधि, न्याय और कम्पनी कार्य संज्ञी का ध्यान दिखाना हूँ और प्रार्थना करत हूँ कि वे इस सम्बन्ध में एक बक्तव्य दें :—

"दिल्ली के प्रतिरिक्त सब न्यायाधीशों और इन्फार्मिडिओ का अपनी मांगों पर यत्र प्राकथित करने हेतु 16 मार्च, 1979 को संसद भवन तक जलूस निकालने का निश्चित निर्णय।"

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): Mr. Speaker, Sir, The Secretary, Delhi Judicial Service Association, vide his letter received on 25th January, 1979, intimated to Government that the General Body Meeting of the said Association had passed a resolution on 8th January, 1979 to the effect that if their demands contained in their Memorandum dated 12th October, 1977 were not accepted by the Central Government by 1st March, the Judicial Officers would be constrained to go on a march to the residence of the Law Minister.

According to subsequent report in the Press the Judicial Officers have decided to march to Parliament on 16th March, 1979.

The main demand raised in the memorandum pertains to the scales of pay of the officers of the Delhi Judicial

Service and the Delhi Higher Judicial Service including the District and Sessions Judge. In respect of the Delhi Higher Judicial Service they have demanded that the time-scale should be Rs. 2000—2250 as compared to the existing grade of Rs. 12000—2000, that the selection grade should be 2500—2750 compared to the existing selection grade of Rs. 2000—2250 and that the grade of the District and Sessions Judge should be Rs. 3000 fixed as compared to the existing grade of Rs. 2500—2750. Regarding the Delhi Judicial Service they have represented that the posts should be treated as Class I posts and that the grade of the ordinary time scale should be Rs. 700—1300 as against the existing grade of Rs. 650—1200, that a senior scale of Rs. 1200—1800 should be available after 5 years' service and that the selection grade should be Rs. 1500—2000 as against the existing selection grade of Rs. 1200—1600. They have in this connection cited the scales of pay fixed in the neighbouring States of Punjab, Haryana and Rajasthan and also the grades admissible in Karnataka, Bombay and Calcutta.

3. In this connection I would like to point out to the House that the present grades were fixed by the Third Pay Commission after keeping all relevant factors in view. Broadly the principle followed is that in so far as the Lower Judicial Service (Delhi Judicial Service) is concerned, parity is maintained with the corresponding Civil Service namely the DANI Civil Service. In so far as the Higher Judicial Service is concerned, parity of the time scale and the selection grade is maintained with the senior scale and the selection grade admissible to officers of the IAS. At the apex the super-time scale admissible to the District and Sessions Judge corresponds to the super-time scale admissible to officers of the rank of Commissioners of Divisions and Joint Secretaries to the Government of India.

These parities between the Civil Services and the Judicial Services have been settled feature for a very long

time and exist not merely in Delhi but in most States of the country including the States of Punjab, Haryana and Rajasthan mentioned by the representationists. Disturbance of the existing balance between the judicial and other services is likely to have complex repercussions not merely on the pay structure of other cadres in the Union Territory of Delhi but also on different cadres in the rest of the country. I may point out that the scales of officers of the Delhi Judicial Service were fixed on the basis of the recommendations of the third Pay Commission with effect from 1st January, 1973 when the scales of the corresponding officers in States like Punjab, Haryana, Karnataka and Rajasthan were lower. An increase in the scales of civil servants and judicial officers has occurred in these States since then. However, it would not for that reason be possible to unilaterally examine any increase in the scales of pay of any single cadre in isolation from others.

In their memorandum the Delhi Judicial Service Association have also asked for certain allowances like conveyance allowance, book allowance and dress allowance as well as for a Government house for every member of the Judicial Service. They have, besides, suggested the division of Delhi into five districts for the purpose of judicial administration an aspect which pertains primarily to the administration of justice and not to their conditions of service. Proposals regarding these have not yet been received from Delhi Administration.

SHRI ANNASAHEB GOTKINDE (Sangli): On a point of order, Sir. The hon. Minister has referred to the names of some States in the country, that is, Punjab, Haryana, Rajasthan, Karnataka and Bombay. Is there any such State like Bombay in the country?

MR. SPEAKER: That is not a point of order.

SHRI ANNASAHEB GOTKINDE: It is a mis-statement.

MR. SPEAKER: No point of order.

SHRI ANNASAHEB GOTKINDE: Is it a correct statement?

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : 1974 से यह केस सिटिल गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है। तब से एडीशनल सेशन जज श्री मैजिस्ट्रेट आपको रिप्रिजेंटेशन देते आ रहे हैं। किसी भी मूक के लिए इससे ज्यादा दुर्भावपूर्ण बात और क्या हो सकती है कि, वहाँ एडीशनल सेशन जजों और मैजिस्ट्रेटों को भी आ कर डेमण्डेशन करना पड़े और उसके बाद उनकी बात सुनी जाए। इस बीच में उनके पत्र आपको मिलते रहे हैं। इस धक्कतूर 1977 को अपने रिप्रिजेंटेशन में उन्होंने फौसला किया कि जनवरी के महीने तक हम इंतजार करेंगे और उससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं। जनवरी में उन्होंने फौसला किया कि हम डेमण्डेशन करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि इस बीच उनके साथ कोई डायलॉग क्यों नहीं किया गया, उनके साथ बातचीत क्यों नहीं की गई? एडीशनल सेशन जजों और मैजिस्ट्रेटों को सालों साल इंतजार करना पड़े और उन से डायलॉग तक न हो यह साबित करता है कि इस तरह की बात को जितनी सीरियसली देखना चाहिये था उतनी सीरियसली देखा नहीं गया है।

मैंने महोदय ने कहा है कि उन्हें के कमिशन की रिपोर्ट पर वे स्केल लागू हुए थे और इनको 1-1-73 से लागू किया गया था। लेकिन 1974 की पहली अप्रैल को

Delhi was declared a metropolitan city under the Criminal Procedure Code with effect from 1st April, 1974.

तब दिल्ली मेट्रोपोलिटन सिटी डिक्लेयर हुई। उसके बाद इनके वे स्केल भी आपकी बेंच करने चाहिये थे। मंत्री जी ने बम्बई का हवाला नहीं दिया है। वहाँ पर आप वे स्केल को देखें। दोनों का मफाबला आप करें। वह भी मेट्रोपोलिटन सिटी है और दिल्ली भी। बम्बई में मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट का ग्रेड 1100-1600 है जबकि दिल्ली में 650-1200 है यानी 100 परसेंट डिफरेंस है। एडीशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट को दो सौ रुपये स्पेशल वे मिलती हैं यहाँ नहीं मिलती है। चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट को बेसिक वे यहाँ दो हजार है यहाँ बारह सौ है। वहाँ पर दो सौ रुपये स्पेशल एलाउंस भी है। जब बम्बई और दिल्ली एक भीसी मेट्रोपोलिटन सिटीज हैं और पंजाब में, राजस्थान में और हरियाणा में दिल्ली से ग्रेडज कहीं ज्यादा है तो यह जो इन्जस्टिस दिल्ली में इन के साथ हो रहा है इसको दूर करने के लिए 1977 से ले कर अब तक आपने कौन से कदम उठाए हैं?

मैं ला कमिशन की रिपोर्ट के सिर्फ दो चीजें मंत्री महोदय को पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कितने मोर से रिफोर्म किया है और मंत्री महोदय

ने जो यह कहा है कि जिनोटरली हम कसिबर नहीं कर सकते हैं उस संबंध में यह कितना गलत बैठता है इसका धारकी इससे पता चल जाएगा। उन्होंने धपपी रिपोर्ट में लिखा है :

"We would urge necessary action without delay before the Judicial Process falls into complete disrepute by its inefficiency and its unsatisfactory working. If the Rule of Law is to become and continue to be a reality in our National Life, our courts must be manned by competent and experienced and fearless judges."

Poor remuneration for Judicial Officers can never attract competent lawyers to join the Judicial Service. We confess that we are unable to decide how we should express our firm belief in this matter in order to convince the Union Government and State Governments that they are ill-serving the Judicial Administration by refusing to recognise the patent truth that for the success of the Judicial Process, we must attract competent lawyers who just will not be attracted to the Judicial Service unless the terms of their services are radically improved."

किर के धपपी दूसरी रिपोर्ट में लिखते हैं :

"The life of a judge, whether on the Bench or otherwise, is a difficult one. He is called upon to adjudicate on contending claims, sift truth from falsehood, uphold lawful cause and reject the rest; and in doing his duty, he even aroused hostility. He has to tread a wary path in order to have no room for any litigant to apprehend prejudice or to court favour."

"Not only has he to be impartial but he has to conduct himself in a manner so that every one can feel he is impartial."

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने भी बार-बार इस बात की कहा है कि उनके रेम्युनेरेशन बढ़ाये जाने चाहिये। और उन्होंने जो मुकामला किया है ऐम्प्लीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं, जो ऐम्प्लीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट 20, 21 साल की उम्र में प्रोफेसी में भग जाते हैं, जब कि जूडिशियल मैजिस्ट्रेट 26, 27 साल की उम्र में होते हैं

और उनकी कोई प्रोमोशन ऐम्प्ल्यूड नहीं है। जूडिशियल मैजिस्ट्रेट और प्रोमोशन सेवान्तर जजेज के लिये प्रोमोशन ऐम्प्ल्यूड नहीं है। इसलिये ऐम्प्लीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के मुकामले में उनकी हालत बहुत खराब है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि दिल्ली ऐड-मिनिस्ट्रेशन ने इस बारे में क्या रिक्लमण्डेशन की है, और इससे पहले कि मामला बिगड़े और वह लोग डेमान्डेशन करें, मंत्री जी उनसे डाइलाग करें ताकि डेमान्डेशन को रोक जाये और उनकी हालत में सुधार किया जाये।

श्री शान्ति भूषण : अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न तो माननीय सदस्य ने यह उठाया है कि 1974 से उनका रिप्रजेन्टेशन पेंडिंग है तो उनसे कोई डाइलाग क्यों नहीं किया गया। पहले तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जो रिप्रजेन्टेशन उन्होंने किया है वह अप्रूब, 1977 में किया है। और कोई ऐसी बात नहीं है कि उनसे डाइलाग नहीं हुआ। यह ऐसा मामला है जिसमें सिर्फ केन्द्रीय सरकार ही नहीं छाती है, बल्कि इससे दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन भीता है, हाई कोर्ट भी भीता है। डाइलाग कई लेवल पर हुआ है, मिनिस्ट्री के लेवल पर भी हुआ है। मुझ से भी एक दफा पहले वह मिल चुके हैं। हाल में एक पत्र लिख कर उन्होंने मुझ से ऐपीटमेंट मांगा है और बहुत जल्दी वह ऐपीटमेंट उनको दिया जाने वाला है जिससे ऐन्टी टी टैबल पर बैठकर बातचीत हो सके और वह समझ सकें कि कहा उनकी बात में गलती है। उनके रिप्रजेन्टेशन में कहा-कहा गलती है। क्योंकि कभी-कभी एसा होता है खास तौर पर जब कि सर्विस कमीशन का मामला हो तो हर प्राइमरी यह इमेजिन कर लेता है कि हमारी हालत बहुत खराब है। यह नहीं देखता है कि उससे भी खराब हालत में और कितने प्राइमरी हैं हिन्दुस्तान में कि जिनकी हालत उनसे भी बहुत ज्यादा खराब है।

माननीय सदस्य ने ला कमीशन की रिपोर्ट की तरफ भी मेरा ध्यान खींचा है जिसमें कहा गया है कि जजेज के रेम्युनेरेशन सुधार नहीं होने चाहिये। इसमें कोई दो राये नहीं है कि जिन वेज में लोकतन्त्र होता है, रूल थाफ ला होता है, डेमोक्रेसी होती है, उस वेज में जजेज बड़ा इम्पोर्टेंट काम करते हैं। लेकिन कम क्या है और ज्यादा क्या है उसको भी सोच ना होगा। अगर प्राज एक कोई जूडिशियल सर्विस में दिल्ली में प्राइमरी रखा जाता है तो 650 रु. बेसिक पे और डी०ए० मिला कर उसको 922 रु० तनब्याह मिलती है मुझ से १ धर अगर यह कहा जाय इस गरीब वेज में

श्री विजय कुमार मल्होत्रो : एक बैंक में बपरासी को ज्यादा मिलते हैं पैसे।

श्री शान्ति भूषण : एक बपरासी को जब बैंक में ज्यादा पैसे मिलते हैं तो हर व्यक्ति को, जब वह किसी सर्विस में जाता है तो उसको तय करने का यह मौका है कि वह बैंक में बपरासी बनना चाहता है या मुंसिफ बनना चाहता है, या मैजिस्ट्रेट बनना चाहता है। अगर कोई बैंक बपरासी को ज्यादा तनब्याह देता है और अगर बपरासी बनने में उसको बहुत धूसी होती है कि बैंक में बपरासी बन बांक तो मुझे ज्यादा मिलेगा, ही

तो यह तथ्य करने का उसको हक है। हमने तो सुना है कि तनकबाह 10 व० कम कर दे, पर नाम धरोपा रख दे। हम चाहते हैं, और हमारे देश की यह परम्परा है कि व्यक्ति का व० से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, बल्कि व्यक्ति का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि वह देश के लिये कितना जरूरी, कितना महत्वपूर्ण काम कर रहा है।

मुझे खुशी है कि ग्राम तौर पर जो हमारी जूडिशियरी है देश भर में, तनकबाह उबको कितनी मिलती है उसकी परवाह नहीं करती है, वह देखती है कि हमारी इच्छत कितनी हो, और कामन धन के मन में हमारे लिये कितनी इच्छत है। बहुत सारे वकील हैं जो 15,000 व० 20,000 व० कमाते हैं प्रीक्टिस में, लेकिन उसके बाद भी वह देश की सेवा करने के लिये कम तनकबाह पर जज बनते हैं। यह गरीब देश है, और इसीलिये बनते हैं 15, 20 हजार व० की बकालत को लात मार कर...

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली मद्र) और मिनिस्टर भी बनते हैं।

श्री शान्ति भूषण दूसरे बान जिम पर माननीय सदस्य न ध्यान खींचा है यह यह कि 1974 में दिल्ली मैट्रोपालिटन सिटी बन गया था

MR. SPEAKER Do not rub salt to the injury.

श्री शान्ति भूषण जहां तक वे कमीशन की बान है, 1973 में वे कमीशन ने बहुत गहराई से इन पर विचार किया। जब भी कोई वे कमीशन बनता है तो बड़ी गहराई से देखता है। वे कमीशन करीब करीब 10, 11, 12 साल बाद इस देश में बनता थाया है, 1950, 1962, 1973 में वे कमीशन बने और जब वे कमीशन गहराई से सारी सविसेख के वे स्कैन्स में जाना है क्योंकि एक सविसेख को लेकर अगरे प्राइसोलेशन में हम कसीडर करे तो उसमें यह होगा, वेकमीशन ने बड़ी गहराई से विचार कर के यह देखा। क्योंकि निकायत पहले यह रहती थी कि एग्जीक्यूटिव सविसेख को तनकबाह ज्यादा दी जाती है, मकान ज्यादा दिया जाता है और ज्यूडिशियल सविसेख को एक स्टैप मद्र की तरह ट्रीटमेंट मिलना है, उसको वह वे-स्कैल नहीं दिया जाता जो एग्जीक्यूटिव सविसेख को दिये जाते हैं। उसको मकान की वह सहूलितें नहीं मिलती हैं जो एग्जीक्यूटिव को मिलती हैं। तो वेकमीशन में यह सब विचार कर के कहा कि जूडिशियल सविसेख भी बड़ी इम्पॉर्टेंट काम करती है, उनको भी बड़ी वे-स्कैल मिलना चाहिये जो एग्जीक्यूटिव सविसेख को मिलते हैं। इसलिये वेकमीशन ने उनमें पैरिटी मेंटन की और उन पैरिटी के हिसाब से दोनों में और ज्यादातर स्टेट्स में एग्जीक्यूटिव और जूडिशियल में पैरिटी मेंटन है। अगर आज उस वेकमीशन की रिपोर्ट को लोक पर रखकर यह कर दिया जाये

कि एक काडर में एक सविसेख को वे-स्कैल बड़ा दिये जायें तो उसकी प्रतिशिया दूसरे पर होगी। वह भी इतजार करने कि जब पैरिटी भी हमारी और उनकी बड़ा दी गई तो हमने ही कौन सा गुनाह किया है, क्या हम मेहनत का काम नहीं करते हैं, विभाग पर और नहीं डालते हैं, जरूरी काम नहीं करते हैं? जरूरी काम हर व्यक्ति हरसविसे में करता है और सविसेख जवाबन करने से पहले वह सोचना पडता है, उसको स्वाधीनता होती है कि वह कौनसी सविसेख में बाना चाहता है।

सविसेख में घाने के बाद, मेरा यह कहना नहीं है कि अगरे उनको कोई जायज माग है तो उन पर विचार न किया जाये।

मैट्रोपोलिटन सिटी की जो बाल करी गई कि 1974 में दिल्ली का मैट्रोपोलिटन सिटी डिक्लेयर किया गया और बम्बई मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और यहा के मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की वे में बहुत फर्क है, तो इसके बारे में मैं यह माफ कर देना चाहता हू कि नाम से पैरिटी नहीं होती है। मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, एक जगह किसी को सविसेख करने है और दूसरी जगह सबोडिनेट जज कहते हैं। जिसको सबोडिनेट जज एक एस्टेट में कहते हैं, दूसरी जगह जो हायर प्रमोशन पोस्ट होती है, उनको सबोडिनेट जज कहते हैं।

बम्बई में मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की पोस्ट प्रोमोशन नहीं है, जहा से वह सविसेख स्टार्ट करना है। यहा दिल्ली में जिसको मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं वह इनीशियल पोस्ट है जहा से कि मजिस्ट्रेट सविसेख स्टार्ट करना है। बहा की पोस्ट को जूडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रमोशन पोस्ट होती है, 50 परसेंट उनमें प्रमोशन से घाने है और 50 परसेंट डायरेक्ट रिजुटमेंट में घाने है। जो हायर जूडिशियल सविसेख की पोस्ट होती है, उसका नाम यहा पर दूसरा रखा गया है

तो बम्बई जो प्रेजिडेंसी टाउन था, बहा पर डिपेंड उनको एक्सट्रा पावर्स थी मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट्स को दी गई थी, और उसको एक हायर पोस्ट मानकर दी गई थी, उसका वे-स्कैल से नालुक नहीं है।

इसी तरह से महाराष्ट्र की सविसेख में जब कोई प्राप्ती जाता है तो पहले जूडिशियल मजिस्ट्रेट बनता है। बहा को वे-स्कैल से दिल्ली के वे-स्कैल कम नहीं है। हा, हरियाणा में अकर यह बात है कि जब बहा फरवरी 1977 में लोक-मभा का चुनाव हो रहा था, शायद उस समय बहा पर वे-स्कैल और डीअरनस एलाउंस बड़ा दिये गये। लेकिन यह सिर्फ जूडिशियल सविसेख के लिये नहीं बढाये गये, बही पैरिटी मेंटन करके एग्जीक्यूटिव के लिये भी बढा दिये। इसी तरह से पंजाब में उसना नहीं, कुछ कम है। हरियाणा वालों के वे-स्कैल दिल्ली वालों से अकर ज्यादा है। पंजाब में ऐसा है कि दिल्ली में 922 से स्टार्ट होता है तो पंजाब में 814 से

होई स्टार्ट करते हैं। कभी-कभी लोग यह पूछ जाते हैं कि बीधरनेस प्रलाउन्स अस-थसंग है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। कनाटक में 1 जनवरी, 1977 से स्केल बढ़ा दिये गये, लेकिन बीधरनेस प्रलाउन्स प्युब्लिश कर दिया गया। वहाँ बेसिक सैलरी को देखा जाये तो वह ज्यादा है लेकिन पूंक्ति वहाँ बीधरनेस प्रलाउन्स नहीं है इसलिए कुल वेतन कम है और यहाँ पर ज्यादा है।

इन सब बातों को देखने के बाद यह देखा जाहिये कि कहीं कम है और कहा ज्यादा है। यह मैं मानता हूँ कि हरियाणा में जा 1 जनवरी, 1977 से उन्होंने बड़ा दिया तो वहाँ ज्यादा है लेकिन अगर हरियाणा की वजह से ही हम बढ़ा दें तो सारे देश में सब के लिये कठिनाई पैदा हो जायेगी और यहाँ जो एग्जाक्यूटिव सॉलिस है, उसके लिये भी कठिनाई पैदा हो जायेगी। यह सब नहीं है, और हम पर गभीरता से विचार करना होगा।

श्री अन्नल राम जायसवाल (कैम्ब्रिज) : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों पहले बम्बई हाई कोर्ट के चीफ-जस्टिस ने प्रेम को एक इन्टरल्यू दिया, जिन में उन्होंने कहा कि जूडिशियल सर्विस की तन्त्राह इन्नी ऐड्रेक्टिव नहीं है कि इनमें थोड़े लोग जाये जिनकी वजह से उनमें छुट्टाकार प्रवेश कर रहा है। मंत्री महोदय तब यह तस्लीम किया है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र आदि रियासतों की जूडिशरी के लोग को तन्त्राह दिल्ली के मुकामले में ज्यादा है। आजादी से पहले जूडिशियल सर्विस के लोगों की तन्त्राह एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ज्यादा हुआ करती थी। एक के बाद दूसरा, और दूसरे के बाद तीसरा पे कमीशन बैठा। उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग हावी हो रहे हैं। उनका इन्फ्लूएन्स प्रबल है, और हम जिन प्रो-इन्फ्लूएन्स बेज में जूडिशियल सर्विस को जो भरती हमिल थी, आजादी के बाद के सालों में वह नहीं रह गई।

महारां में जूडिशियल सर्विस के लोग मारे-मारे फिरते हैं मगर गवर्नमेंट की तरफ से उनको मकान नहीं मिलता है। इनमें गवर्नमेंट का कोई खर्च नहीं होने वाला है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन लोगों की तन्त्राहें दूसरी रियासतों की तन्त्राहों के आकार कदम में सरकार के सामने क्या दिखत है? क्या सरकार उन्हें यह गारंटी दे कि उन्हें सरकारी मकान मिले? इनमें कोई फिनालल खास भी नहीं होना।

श्री शक्ति भूषण : माननीय सदस्य कहा है कि म्यूनरी स्टेट्स में हायर पेन्सेलज हैं। मैं माननीय सदस्य की सूचना के लिए बता दूँ।

श्री अन्नल राम जायसवाल : मंत्री महोदय ने बताया है कि फर्क है।

श्री शक्ति भूषण : कि जब 1 जनवरी, 1973 से पे कमीशन ने जो पे स्केल बनाये, तो दिल्ली की फिक्सी स्टेट से कम नहीं रखा गया था—दिल्ली को हाइएस्ट के साथ कम्पेयर कर दिया था। लेकिन 1977 में हरियाणा ने अपने यहाँ पे पे स्केल बढ़ा दिये और उसकी वजह से वहाँ के स्केल को भी बढ़ाने के लिए कहा जाता है। बार-बार यह कहा जाता है कि स्टेट्स को यह अधिकार है कि वे अपनी सर्विश के लिए जो चाहे करें। अगर माननीय सदस्य का यह कहना है कि अगर एक स्टेट किसी के पे स्केल बढ़ा दे, तो केन के लिए भी बढ़ाना जरूरी हो जाये, तो यह फेडरल प्रिंसिपल के कहां तक अनुकूल होगा? स्टेट्स को इस बात की आजादी और स्वाधीनता है कि वे अपने यहाँ क्या स्केल रखें। माननीय सदस्य इस बात पर भी विचार करें कि इन की प्रतिक्रिया क्या होगी। वह बड़े भारी और पुराने मनाजबादी रहे हैं। मनाजबादी होने की रीमिगन से मैं उनमें कहीं आजादी जब आज भी यह माना जाता है कि इन देश की पंचायत प्रविजन असलता गरीबों के निम्नतम स्तर से नीचे रहती है और उसका दोना बन का खाना भी नहीं मिलता है, तो जिन की तन्त्राह 922 रुपये में स्टार्ट होती है, उनकी तन्त्राह में और बढ़ी की मात्र कम नग ठीक है।

आजादी से पहले भी ऐसा नहीं था कि जूडिशरी को एक्सीक्यूटिव में ज्यादा मिलता था। अगर कोई सिकायत थी, तो यह जो कि एक्सीक्यूटिव का ज्यादा मिलता है जूडिशरी को कम मिलता है। यह सिकायत रफा बर दी गई, और यह मान लिया गया कि एह लाकटाबिक देव में यह नहीं होना व हिसाब कि जूडिशरी को एक्सीक्यूटिव से कम दिया जाये।

जहाँ तक मकान को सुविधा देने का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस तरह आकषित करना चाहता हूँ कि मकानों की तकनीक बहुत से लोगों को है। मकान एडकुकम नहीं बन सकते। लेकिन फिर भी दिल्ली में जूडिशरी को एक्सीक्यूटिव से ज्यादा सुविधा दी गई है दिल्ली में सविल सर्विश के 158 लोगों में से 89 को मकान मिले हुए हैं मरकार की ओर से, जबकि हायर जूडिशियल सर्विस और दिल्ली जूडिशियल सर्विस, इन दोनों की संख्या 128 है और उनमें से 80 को मकान दिये हुए हैं। शासन की हमेशा यह कोशिश होगी कि सब को मकान उपलब्ध किये जायें। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, कपूर और पौदुन आदि, जिनमें से हर एक को मकान नहीं मिला हुआ है। तो यह सिकायत सिर्फ इन्हीं की नहीं है, यह तो जनरल सिकायत है। मकान जैसे जैसे बनें दिए जाएंगे। शासन के पास जो साधन होंगे उन के मुताबिक बढ़ बनाए जा रहे हैं और पूरी कोशिश को जा रही है।

श्री फिक्सीर लाल (पूर्व दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय यह बड़ी एक ठकवीर की विज्ञप्ति है कि इस वक्त आप प्रेसाइड कर रहे हैं और शक्ति भूषण जी के मूँह

से वे अलग सुनने पड़ रहे हैं जूडिसियरी के मुताबिक बहुत लम्बा बीड़ा भाषण हुआ। मेरे ब्याज से शान्ति भूषण जी कविचक्रान से नहीं बोल रहे हैं। किसी घाबर सेक्रेटरी ने वहाँ पर लिख दिया होगा और उसी को उन्होंने पढ़ कर सुना दिया।

मैं बहुत घबरा से आप से यह पूछना चाहता हूँ एग्जीक्यूटिव सचिव और जूडिसियल सचिव का कम्पेरिजन किया बर्र के कमीशन ने तो बर्र के कमीशन ने एग्जीक्यूटिव बाबो को 200 रुपये स्पेशल पे दिया पाच साल की सचिव के बाद वह स्पेशल पे क्या आप जूडिसियल आफिसर्स को दे रहे हैं? एग्जीक्यूटिव के आफिसरिया को आप स्कूटर घाउट आफ टर्न देते हैं। जूडिसियल मैजिस्ट्रेट को आप स्कूटर घाउट आफ टर्न देने हैं? दिल्ली के जूडिसियल मैजिस्ट्रेट को सात साल रिगनल इम्प्रोविजमेंट देने का अधिकार है और आज हालत यह है कि वह किमिनल के साथ बस में एक ही सीट के ऊपर बैठ कर चलता है। किसी एग्जीक्यूटिव के आफिसर्स को यह अधिकार नहीं है। वह ज्यादा से ज्यादा किसी को सस्पेंड कर सकता है। लेकिन उसी मैजिस्ट्रेट को जिसे सात साल की सजा देनी है उसी किमिनल के साथ बस में बैठ कर चलना पड़ता है और अभी होम मिनिस्टर साइबला एंड घाडेर की सिचुएशन बता रहे थे कि किसी बक्त भी क्या हालत होती है। अभी भी एन नोहारा के साथ तीस हजारी कोर्ट में क्या हुआ? किसी एग्जीक्यूटिव आफिसर के साथ ऐसा नहीं हो सकता। उन के पहले एक मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट के साथ क्या हुआ? जूने मारे गए। वह किसी एग्जीक्यूटिव आफिसर के साथ नहीं होता। इसलिए हर एक सविसेज के साथ में प्रलय-प्रलय हैजाइस होते हैं। वह हैजाइस नहीं देखे जा रहे हैं। दुमरे उन के साथ-साथ उन के प्रोमोशनल एवेन्चूज नहीं हैं। मैं आप से कहना चाहता हूँ एग्जीक्यूटिव के घाबर प्रोमोशनल एवेन्चूज बन ड्रड्ट फाइन है। यहाँ बन ड्रड्ट 100 भी नहीं है। किन्तु ऐडीशनल जूडिसियल मैजिस्ट्रेट है, किन्तु जूडिसियल मैजिस्ट्रेट है जो आज जूडिसियल मैजिस्ट्रेट के रूप में भर्ती हुआ उसके लिए बस पाच ऐडीशनल सेशन प्रवेज की जरूरत है। तो वह जब रिटायर होगा तो उसी जगह से रिटायर होगा। उन को प्रोमोशन नहीं मिल सकती जब कि एग्जीक्यूटिव के घाबर जो घादमी आज एग्जाइट हुआ वह उवाइट सेक्रेटरी और ऐडीशनल सेक्रेटरी बन कर रिटायर होगा। इसलिए उन के साथ में कम्पेरिजन करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है।

Why should he be forced to sit in a particular dress in the court He has to spend on it?

दुमरी बात शान्ति भूषण जी के मुह से आई। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन को एक स्पेशल ड्रेस पहन कर बैठना पड़ता है।

जो एग्जीक्यूटिव का घादमी है वह 200 रुपये का सुट खिनाएगा, घादर में भी उसी को पहनेगा, घर में भी पहनेगा और शादी में भी वही पहन कर

जाया। लेकिन एक जूडिसियल मैजिस्ट्रेट को कोर्ट के लिए प्रलय ड्रेस बनवानी पड़ेगी। इतना ही नहीं जिस बक्त मैजिस्ट्रेट होगा, उसे फीसला देना होगा तो 20 फिताबें जिन में हाई कोर्ट की घाद शान्ति भूषण जी की भी कोटेसन होती, उनको बगल में लेकर 8 मील बस में बैठ कर जाना पड़ेगा। कुछ फिताबो को खरीब कर पड़ना होगा, ला जर्नलस खरीबनी होगी जो उन को वहा से मुक्त नहीं मिलेगी इसलिए मैं समझता हूँ कि यह कम्पेरिजन उन के साथ कर देना, माफ कीजिएगा, बिलकूल एक घाद ए एस ब्यूरोक्रेसी के चुगल में फामने की बात है और यह को-अनफारचुनेट है कि ऐसे लोगों का ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। एक तरफ जनता पार्टी और हम लोग कहते हैं कि जूडिसियरी इम्प्रोवेट है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो हाई फाट की रिफरमेंटेशन है

Why it is lying with with the Home Ministry? शान्तिभूषण जी जैसे जवाब दे रहे हैं?

This recommendation of the High Court of Delhi is lying for the last one year with the Home Ministry Why are they forced to come and march to Parliament? Delhi Administration and High Court of Delha have recommended it

मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ कोषा डिपेंड नहीं है। किसी घादमी ने जवाब बना दिया और उसी जवाब को यहाँ पर पढ़ दिया जो किसी घादमी के गले के घादर नीज उत्तर नहीं सकती। ड्रेस का कम्पेरिजन नहीं किया, कितनी फिताबें उन को लेकर चलना पड़ता है बस में टूबेल करना पड़ना है, उसके बाद में लाइब्रेरी उस को वहा पर बनानी पड़ेगी है, आज की इस पब्लिक सोमाइटी में कुछ सामान घर में रखना पड़ेगा मैं (ब्यबधान)

हा, वह बस में ही चलता है और जिस किमिनल के माफा में बैठ कर जाता है एक घंटे के बाद उस को सात साल की सजा देता है। इतने हैजाइस हैं (ब्यबधान)

90 प्रतिशत ऐसे कैसेज हैं इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ

(ब्यबधान) समाजवाद की बात हम सिर्फ जवाब देने के लिए करते हैं, वरना हम पब्लिक सोसाइटी को हम एक्सेप्ट करते हैं और सब को बिलकूल बराबर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट आफ इंडिया के सेक्रेटरी घाडर सेक्रेटरी और सेकशन आफिसर को भी बराबर नहीं कर सकते। कैबिनेट मिनिस्टर को जो पे मि लती है उन को एम पी को बराबर भी नहीं कर सकते। चलिए उन्हीं का मुकाबिला कर लीजिए। इससे साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जब जनता पार्टी बनी थी तब शान्ति भूषण जी की तरफ से लीड आई थी कि विसम्बर 1978 तक जूडिसियरी की ऐसी कडीशन बनवेंगे।

Ninety per cent of the cases are finally disposed of by these people Five to ten per cent of the cases go to the High Court and Supreme Court It means...

90 परसेंट जनता को बहिस्त देने के लिए इस फिस्म की बुद्धिबिधारी होनी चाहिए जिसको कोई टेस्टेशन नहीं 900 रुपए में जिस धारदनी को सात साल की सजा देने का अधिकार होगा वह हुयुमन बीय है, कोई मगवान नहीं है, उसे टेस्टेशन की हालत में नहीं रखना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ हम बंडे के कमीशन के साथ कम्पैरिजन कर रहे वहाँ स्पेशल-पे भी मिलती है और प्रमोशनल एवेन्यूज भी ज्यादा होते हैं और बाकी जो जो कैसिलिटीज हैं वह भी यहाँ नहीं मिलती हैं। एकस्ट्रा खर्चा भी उनको करना पड़ता है। मंत्री महोदय इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। क्या मंत्री महोदय उनको उसी हालत में रखना चाहते हैं जिनमें वे आज हैं? इस तरह से दिसम्बर, 1978 तक का जो उनका कमिंट-मेंट था उसको कैसे पूरा करेंगे?

श्री शांति भूषण : मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बातें उठाई हैं उनका मैं जवाब देना चाहूँगा। पहली बात तो यह ठीक है कि एग्जीक्यूटिव साइड में बहुत सी ऐसी पोस्ट्स होती हैं जिनके साथ स्पेशल-पे अटैचड है, मैं मानता हूँ जूडीशियरी में भी कुछ ऐसी पोस्ट्स हो सकती हैं जिनके लिए स्पेशल-पे का जस्टिफिकेशन हो सकता है। अगर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन प्रापर प्रपोजल रखेगी किफला 2 पोस्ट्स के साथ सुपबिजन के लिए स्पेशल-पे रखने की जरूरत है, हाईकोर्ट से कंसल्टेशन में ऐसा प्रपोजल भ्रायेगा तो उस पर तदनुभूति एवंक बिचार किया जायेगा (ब्यबधान) ये कमीशन ने हर स्टेट में एग्जीक्यूटिव धाफिसस को इक्वैट किया है, उसको आज अगर हम एकदम से डिस्टर्ब कर देंगे तो उसके बाद हर एक की डिमाण्ड उठेगी कि सौ साल से हमारी पीरिटी मेनटेन्ड है। (ब्यबधान)

प्रमोशनल एवेन्यूज के बारे में जिनने ध्रापको ब्रीफ किया है उनमें गानन ब्रीफ किया है। ऐसा नहीं है कि जूडीशियरी में देर से प्रमोशन हो रहे हैं और एग्जीक्यूटिव में जल्दी हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं ध्रापको फीचर एड फोगस दे सकता हूँ। सन् 1964 में जिन्होंने जूडीशियरी ज्वाइन की थी उनका प्रमोशन हो चुका है लेकिन एग्जीक्यूटिव माइड में जिन्होंने 1963 में ज्वाइन किया था उनका हुमा है, 1964 वालों का नहीं हुमा है। मैं यह बात दिल्ली के सम्बन्ध में कह रहा हूँ।

श्री किशोर लाल : 1964 के आई ए एस आज ज्वाइंट सक्टेरी बने हुए हैं।

श्री शांति भूषण : माननीय सदस्य आई ए एस से इक्वैट कर रहे हैं। जबकि जूडीशियरी आई ए एस से इक्वैट नहीं होती है, पी सी एस से इक्वैट होती है। (ब्यबधान)

SHRI KISHORE LAL: You have not been properly briefed.

SHRI SHANTI BHUSHAN: I have been properly briefed, the hon. Member has not been properly briefed.

All these officers are entitled to compete for I.A.S. also. If they compete for the IAS, they can go into the IAS. If they cannot compete, or fail in that competition, and they come either for the P.C.S. (executive) or P.C.S. (judicial), then they have no business to claim parity with the IAS. The people who secure higher marks in IAS are taken for IAS. If they have not got the capability to compete with IAS, after having failed in IAS and having joined PCS Executive or PCS Judicial, saying "We should be equated with IAS, our promotional avenues should be the same as for IAS" is not justified. Suppose a person has failed in the clerkship examination and he joins as a peon. Can he say, "But the IAS officer is also sitting in the same building I also work in the same building. Why should I not get the same promotional avenues?" There is no limit for a person individually to create any kind of demands in his own heart, but so far as reasonable demands are concerned, the times are changing and if Haryana Government has increased it, therefore, within the limitations under which Government works, after seeing the repercussions on other services, it may need a new Pay Commission to go into it. But it cannot be considered in isolation. This parity has been maintained and it is a time-honoured thing. The hon. member made some reference to scooters, that scooters are easily given to members of the executive. I do not know, because I do not deal with allotment of scooters. But even this representation has not made any reference to scooters. If there is any such representation, I will contact the department concerned.

श्री बिजय कुमार महोदय : धन कोटा सिस्टम नहीं है।

श्री शांति भूषण : तब तो बात ही खरप हो गई। ध्राप ने खुद ही श्री किशोर लाल जी के प्रश्न का जवाब दे दिया।

श्री बिजय कुमार महोदय : लेकिन ध्राप ने तो कहा है कि कन्सीडर करेंगे, कैसे कन्सीडर करेंगे?

श्री शांति भूषण : मैंने कहा है कि मुझे इस के बारे में मालूम नहीं है, अगर कुछ ऐसी बात है तो देखा जा सकता है।

उन्होंने ब्रेश धीर किताबों की बात उठाई है। जहाँ तक ब्रेश की बात है, इस के बारे में धर्मि तक कोई विचार नहीं हुआ है, क्योंकि हाई कोर्ट के तरफ से कोई एग्जिक्यूटिव प्रॉयोबिस नहीं है। प्राप को कोई न कोई ब्रेश तो पहननी ही पड़ेगी, काली हो, बाउन हो, पीली हो या सफेद हो, हर प्रादमी को जो किसी जगह काम करता है, उस को कोई न कोई कपडा तो पहनना ही पड़ना है। हो सकता है काला कपडा महंगा हो, सफेद काडा सस्ता हो, लेकिन मुझे इस की जानकारी नहीं है।

जहाँ तक उन्होंने इस प्रश्न को उठाया कि जर्जियन सॉसिस में जो लोग काम करते हैं, उस में बहुत लालच था सकती है, इसलिये जब तक उन को ऐसी तनक्वाह नहीं दी जायगी, जिस से लालच न प्राये काम नहीं चलेगा। मैं माननीय सदस्य को बतवाना चाहूँगा—प्राप 922 रुपये मिलने पर लालच था सकती है ता 1200 रुपये देने पर भी वह लालच बन्द नहीं होगा। मझ का एक कहानी याद प्राती है। जब श्री तज बहादुर सप्रू सा मिनिस्टर थे, उस जमाने में एक मिनिस्टर की तनक्वाह 6600 रुपये थी। उस समय किसी एक छोटी सी स्ट्रेट के—सायद वह स्ट्रेट नाहन थी—चीफ जस्टिस मिलने प्राये, उन को तनक्वाह 66 रुपये थी। श्री सप्रू ने कहा—प्राप को 66 रुपये तनक्वाह मिलती है, बहुत कम है मैं प्राप की स्ट्रेट के राजा से बात कख्या। उन्होंने वहाँ के राजा माहब से बात की और कहा कि प्राप प्रापने यहाँ के चीफ जस्टिस को 66 रुपये तनक्वाह देते हैं। राजा माहब बोले—“डाक्टर साहब, चाहे 66 बीजिये या 6600 बीजिये, खायेगा साला फिर भी।”

इसलिये मैं कह रहा था कि जहाँ तक टेम्प्टेशन का मामला है, टेम्प्टेशन का बरिज से सम्बन्ध है। इसलिये बरिज किसी का प्रच्छा होगा तो उस को यदि 900 रुपये तनक्वाह मिलती है तो भी नहीं खायेगा, प्राप बरिज गिरा हुआ है, उस को दगनी तनक्वाह भी द दीजिए, तब भी रिश्तत लेना। इस लिये इस का बरिज से सम्बन्ध है, तनक्वाह से सम्बन्ध नहीं है। फिर भी यदि तनक्वाह में कोई कमी हो तो जिनना रुपया, जिनना कर लोग देने को तैयार हो, उस से जो सुविधा प्रदान की जा सकती है, वह दी जानी चाहिये।

श्री सरब यादब (अबलपुर) अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जबाब दिया है, कई सवालों पर वे ठीक बात कह रहे हैं, दुरुस्त बात कह रहे हैं लेकिन उन के प्राचरण में बड़ा खोट है, इस सारी सरकार के प्राचरण में बड़ा खोट है। मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि उन्होंने एक प्रच्छा सवाल उठाया कि किसी की तनक्वाह से ही कोई ठीक नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्राप जहाँ की तनक्वाह मत बकारे या दूसरे लोगों की तनक्वाह मत बडाइए लेकिन प्राप ने साबदा किया था, जनता पार्टी ने प्रापने भोषणा पत्र में साबदा किया था कि हम खर्च पर सीमा नगाएंगे। तो प्राप बेईमानी यहाँ पर यह कर रहे हैं कि निर्णय था कर सब को समझा रहे हैं जबकि एक तरफ बहुत से लोगों को कहते हैं कि तुम बहुत खाओ, पिनी और एक तरफ इस वेब में पैसाओ की मुसाइत

कोई करता है और दूसरी तरफ लोगों को, कहीं मास्टर को और कहीं मजिस्ट्रेट को प्रादर समझाते हैं। ये जो प्रापने तर्कों में कई किसम का जोर लगा कर अपनी बात को बरिजकार कर रहे हैं, यह कभी होगा नहीं। हमारा प्राप से यह निवेदन है कि जब की तनक्वाह प्राप नहीं बखाना है, तो बाकी हिन्दुस्तान में जो दूसरे लोग हैं जो उन की सर्विस के बराबर हैं खासकर मैं जो बैंक के एम्पलाइज हैं और ये जो एडमिनिस्ट्रिव सर्विस के लोग हैं, इन के हाथ में जो यह मीज मस्ती है कि एक जो साधारण सा मजिस्ट्रेट भी है वह भी एक जीप ले कर चलता है जो बका 144 लगाता है और मैं ने जिन्यगी भर देखा है कि वह जीप ले कर चलता है

एक माननीय सदस्य : वह गोली भी खाना है और हँट भी खाता है।

श्री सरब यादब जवाब प्राप दे रहे हैं या मंत्री जी वे रहे हैं। मैं यह कह रहा था कि हिन्दुस्तान में हर जगह यह सबब है जैसे डाक्टरों का मामला ही लीजिए हमारे यहाँ डाक्टरों की इडलत हुई कि और वह इस लिए हुई कि हरियाणा में डाक्टरों को ज्यादा मिल रहा है और हमारे यहाँ कम मिल रहा है यानी इसी हिन्दुस्तान में दो तरह के नागरिक तैयार हो रहे हैं। दो तरह के नागरिक डाक्टरों के मामले में, दो तरह के नागरिक मजिस्ट्रेटों के मामले में और दो तरह के नागरिक हर सर्विस में प्राप बनाएने तो लडाई कैसे नहीं होगी। एक प्रादमी को एक नम्बर का मानेगे और दूसरे प्रादमी को नम्बर 2 का प्राप मानेगे, एक को कहेंगे कि न० 1 रहो और दूसरे को कहेंगे कि न० 2 रहो। प्राप ऐसा कर रहे हैं और प्रादर समझा रहे हैं पूरे लोक मना में बैठ हुए सदस्यों को। प्राप यह सिद्धा रहे हैं कि वे ईमानदारी कहा से प्राती है और कहा से नहीं प्राती। एक एवरेज प्रादमी के माय ईमानदारी का मानदंड यह नहीं होना। एक एवरेज प्रादमी की जो अपनी प्राथिक स्थिति होती है, उस से वह बेईमान और ईमानदार होना है। मैं यह पूछना चाहना हू कि क्या इन की सरकार में या इन को जो कैबिनेट बैठती है, उस में इस बात की ये चर्चा करते हैं कि हमारी जो लोक सभा में यह फजियत हो रही है, उस के लिए इन तरह का कोई बराबरी का साचा तैयार करेंगे या नहीं करेंगे?

मैं एक बात और कड़ना चाहता हू कि इन का जो डिपार्टमेंट है, जिस के प्रादर देस भर में जूबीजियरी चल रही है—जूबीजियरी के मामले में हय कहते हैं कि यह लोकतंत्र का एक खमा है—वह लोकतंत्र का खमा कैसे उखड रहा है, इन के बारे में पूरी जानकारी इन के डिपार्टमेंट को होनी चाहिए। हमारे यहाँ जबलपुर से कोई हाई कोर्ट के जजों के एपॉइन्टमेंट हुए। जैब वहाँ पर ये एपॉइन्टमेंट हुए, तो वहाँ पर भाषण हुए। प्रा०००००००० का मामला है वेस में, एविघापल्ल मामला है और बहस का मामला है। हाई कोर्ट के प्राणप में बैठ कर भाषण हुए कि यह हमारा गौरव है कि वो जज, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हैं, घब बैब में प्राए हैं।

MR. SPEAKER: You are completely outside the question.

श्री शरद बाबब: यह कैसे रेलेमेंट नहीं है। इन के विधान की चीज है। प्रथम महोदय, इन्होंने डाऊट बाऊट कन्ट्रेक्ट बात की, इन्होंने सब को धारर सिखाया। इसलिए मैं भी इन को धारर सिखाना चाहता हूँ। इन को वहाँ के बहुत से बकीलो ने लिख कर दिया। मैं यह नहीं कहता कि यह बहस का मामला है लेकिन हाई कोर्ट के प्रांगण के धारर यह घोषण दिया गया गौरव के साथ धारर इस की खबर इन के पाम धारर। बहुत से बकीलों ने लिख कर दिया धारर मैं ने भी इन से मिल कर कहा कि जूजीसियरी पर किसी विचार को हावी न होने दें वैसे यह समाजवादी हो, मार्क्सवादी हो या वैसे कोई धारर हो। इन्होंने मेरी बात सुनी धारर कहा कि यह प्रोटोनामस चीज है। मेरा कहना यह है कि यह प्रोटोनामस चीज जो है यह धारर चीज के लिए कैसे उपयोग में लाई जाती है, गन्दी चीज के लिए क्यों उपयोग में लाई जाती है। धारर चीज के लिए प्रोटोनामस बाकी का उपयोग होना चाहिए, गन्दी चीज के लिए नहीं होना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि बड़ी तन्बाह वाले जो लोग हैं, जो रोज हड़ताल करते रहते हैं, मैं इन के बहुत खिलाफ हूँ लेकिन मैं इन लोगों के भी खिलाफ हूँ जो इन लोगों को हड़ताल करने का आका देते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के एक अपराधी या भगी की जो तन्बाह है, उस से 10 गुना से ज्यादा हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति से ले कर, धारर से ले कर धारर सरकार के जितने भी अपसरर हैं किसी को भी उस से ज्यादा तन्बाह नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा धारर उपाय करे धारर खास कर धारर कैबिनेट में इस बात को ले जाए, लेकिन ये जो सवाल उठाए होते हैं, यह जो होच-पोच बहस चलती है, यह चलती रहेगी, तो सड़क भी चलती रहेगी। इसलिए मैं ने जो सवाल पूछे हैं, उन का जवाब शून्य दीजिए।

श्री शरद बाबब: माननीय सदस्य ने वैसे तो प्रश्न कोई उठाए नहीं हैं, एक ही प्रश्न उठाया है कि स्ट्रेटस में दो तरह के सिटीजन्स क्यों होने चाहिए कि एक जगह कुछ तन्बाह मिले धारर दूसरी जगह कुछ तन्बाह मिले। धाररने संविधान से हिन्दुस्तान में फेडरल स्ट्रक्चर रखा गया है धारर उस स्ट्रक्चर में स्टेट्स को धाररकार विधे गए हैं कि वे धाररने यहाँ की जस्टिसियल सर्विसिज की तन्बाह मुकरर कर सकती है। हिन्दुस्तान में 22 प्रदेश हैं। उन में प्रलग प्रलग तन्बाह रखी हुई है। कहीं कम है कहीं ज्यादा है। प्रश्न कौन से प्रदेश को मानी जाए, कम वाली मानी जाए या ज्यादा वाली मानी जाए, यह प्रश्न सामने रहेगा। इस में केन्द्र क्या करे, कम वाली मानी या जिन्होंने ज्यादा रखी है, वह माने ?

श्री शरद बाबब: जो धाररने वापस किया है, उस मामले में धारर क्या कर रहे हैं ?

MR. SPEAKER: He cannot do it.

श्री शरद बाबब: जनता पार्टी ने जो यह कहा है कि हम सभी को एक से वेतन देंगे। उसके सम्बन्ध में धाररका क्या कहना है ?

MR. SPEAKER: It is not a party question.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): Shri Shanti Bhushan usually is a Minister of patience. Today he has lost all his patience, and he has uttered so many words which he should not have uttered. Today he has become Ashanti Bhushan. He was trying to compare a magistrate with a clerk in a bank, and he was also saying that magistrates were not competent to compete with IAS officers, and that is why they are occupying these posts. I want him to withdraw these two things before we proceed further.

It will be a very bad day for this country if the magistrates come in a morcha to Parliament House. I request the Minister to start negotiations with them immediately and satisfy them and see that they do not come to Parliament, that they do not come out of their offices. That will be very bad.

The magistrates are a very poor lot. We have got a Judge sitting here, Mr. Shiv Shankar. He was a lawyer and he resigned.

MR. SPEAKER: Should we go to the district judges and the High Court Judges?

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: A High Court Judge is drawing more than these Judges. A man who was drawing more has resigned and come back again to the Bar. That is why I request that the Minister should not merely refer to the Third Pay Commission. Nowadays even the Vedas are being explained in a new fashion. After the Old Testament, the New Testament has come. So, I want a special treatment for the magistrates. They cannot be compared with any other man in this country. If the Minister wants any support, I think the whole House will support him. The whole judiciary should be kept above

everything, and they should not be compared with other officers. When an IAS officer goes to a village, he will get some *khana* or lunch, but the poor magistrate does not get even a cup of tea, he will also not take it. From my constituency to Hyderabad, they would not accept a lift, they prefer to go by bus.

MR. SPEAKER: Your suggestion is that they must be dealt with as a separate category.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: I want him to express regret for what he has said.

SHRI SHANTI BHUSHAN: I am sorry if I have conveyed any impression that I have said anything derogatory to the judiciary of this country. On the other hand I have appreciated the judiciary of this country and said that the judiciary in this country has a very long, old and high tradition and that they conduct themselves in very difficult conditions in a very dignified manner. It does not care as I said in an appreciative way, it is not so mindful about its own incomes, salaries and so on. But it is more concerned with the respect and the esteem which it gets from its fellow being. I have paid the highest compliment to the judiciary.

When an hon. Member says that an IAS officer has more promotional avenues, then my answer is that a person, a young man, when he decides as to which profession he is going to take up, he has an option, maybe for right reason or wrong reason.

MR. SPEAKER: You have dealt with that.

SHRI SHANTI BHUSHAN: I have already dealt with that.

I want to make it clear that I have not said in derogation of the great esteem in which all of us hold the judiciary. But I have to answer a particular point as to why the promo-

tional avenues are not the same for the IAS. I said, if they like to go to the IAS, they are free to go to the IAS. It is their sweet choice. If they think that this is a work which suits them, that this is the most important work....

श्री शान्त राम भुषण (फैजाबाद) : 16 तारीख को जो प्रोसेशन निकलने वाला है उसको रोकने के लिए धारा क्या करने जा रहे हैं।

SHRI SHANTI BHUSHAN: So far as that is concerned, I have already told the House that I had met them earlier. Also, I have received recently a letter from them saying that they would like to meet and to fix a date. I would be very happy to meet them, their representatives, in order to discuss across the table so that any misunderstanding should be removed. I am going to fix a date for meeting with them to discuss all these matters, very early within a couple of days. So far as this Government is concerned, this Government believes in negotiation, discussion, talk and so on to convince each other. If they convince me, well and good, or, may be, I may be able to convince them.

A reference was made to an hon. member of this House, a former judge of the Andhra Pradesh High Court, Mr. Shiv Shankar. It is quite true that he agreed to become a judge in 1974 and, after one year, he resigned in 1975. But I can assure the hon. Member that it was not that he had forgotten, when he had accepted to be a judge in 1974, as to what emolument given to a High Court judge were. The reasons for his resignation were different. I know them. I do not know whether the hon. Member knows them.....

MR. SPEAKER: You need not go into them.

SHRI SHANTI BHUSHAN: I am not going into them.